अध्याय–7

# कोयले का उत्पादन, विपणन और वितरण

## 7.1 कोयला उत्पादन

**7.1.1** अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक के दौरान पूरे भारत में 308.89 मिलियन टन (अनंतिम) कोयले का उत्पादन किया गया जबकि गत वर्ष के तदनुरूपी अवधि के दौरान 364.12 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जो 5.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

**7.1.2** सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि0 (एससीसीएल) दक्षिणी भारत में कोयले का मुख्य उत्पादक है । एससीसीएल कंपनी ने अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान 37.18 मि.ट. कोयले का उत्पादन किया है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान कुल उत्पादन 35.26 मिलियन टन था।

## 7.2 कोयले का वितरण और विपणन

सीआईएल का विपणन प्रभाग इसकी सभी सहायक कोयला कंपनियों के विपणन कार्यकलापों की आयोजना, समन्वय एवं मानीटरिंग करता है । विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता क्षेत्रों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल का राज्य के राजधानियों में क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों का नेटवर्क है ।

सर्फेस माइनर ओपन कास्ट खानों में प्रचलन में एक आधुनिक कोयला खनन मशीन

## 7.3 लिंकेज समितियां

**7.3.1** नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के लागू होने से पूर्व स्पांज आयरन यूनिटों सहित सीमेंट, विद्युत तथा इस्पात से संबंधित उपभोक्ताओं को कोयले की दीर्घावधि तथा अल्पावधि उपलब्धता तथा वितरण तय करने के लिए दो प्रकार की लिंकेज समितियां कार्य करती थीं :

(i) स्थायी लिकेंज समिति (दीर्घावधि)

(ii) स्थायी लिंकेज समिति (अल्पावधि)

**7.3.2** तथापि, लिंकेज प्रणाली के स्थान पर एनसीडीपी और एफएसए की व्यवस्था लागू हो जाने से स्थायी लिकेंज समिति (अल्पावधि) जो कोयला का उत्पादन और उसमें शामिल संभार तंत्र को ध्यान में रखकर तिमाही आधार पर विद्युत एवं सीमेंट क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले का आबंटन किया करती थी, अब कोई आबंटन नहीं कर रही है ।

**7.3.3** स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) आयोजना स्तर पर सीसीपी एवं आईपीपी, सीमेंट तथा स्पांज आयरन सहित विद्युत उपयोगिताओं की कोयले की आवश्यकता पर विचार करती है और अपेक्षित मात्रा, गुणवत्ता, समयसीमा, खपत संयंत्रों का स्थान, परिवहन लाजिस्टिक, कोयला खान हेतु विकास योजना इत्यादि जैसे कारकों की जांच करने के पश्चात युक्तिसंगत स्रोत से दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में आवश्कता को संयोजित करती है ।

**7.3.4** दीर्घावधि लिंकेज समिति की अध्यक्षता इस समय अपर सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा की जा रही है । इसमें विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोल इंडिया लि. सीएमपीडीआईएल तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) के प्रतिनिधि होते हैं ।

**7.3.5** नई कोयला वितरण नीति ने " आश्वासनपत्र " (एलओए) की अवधारणा लागू की है, जिसमें विकासकर्ताओं को कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति की व्यवस्था है, बशर्ते कि वे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करते हों । विकासकर्ताओं द्वारा एलओए में निर्धारित लक्ष्यों को एकबार पूरा कर लेने के पश्चात एलओए धारक कोयले की दीर्घावधि आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) संपन्न करने के लिए पात्र होंगे । अन्य वाणिज्यिक नियम एवं शर्तों के साथ आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की मात्रा एफएसए में ही दी जाती है ।

**7.3.6** वर्ष 201213 के दौरान, एसएलसी (दीर्घावधि) की कोई बैठक आश्वासन पत्र (एलओए) जारी करने के लिए नहीं हुई ।

## 7.4 विद्युत, सीमेंट और इस्पात संयंत्रों को कोयले का आवंटन

**7.4.1** इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोयले का आवंटन पहले कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता था । तथापि, कोकिंग कोयले का नियंत्रण समाप्त होने के पश्चात, कोयला कंपनियां स्वयं कोकिंग कोयले की आपूर्ति, एसएलसी (एलटी) द्वारा स्थापित लिकेंजों के आधार पर या विद्यमान प्रतिबद्धता के आधार पर कर रही हैं ।

**7.4.2** वर्ष 201213 के दौरान दिसम्बर, 2012 तक सीआईएल ने विभिन्न उपभोक्ताओं को निम्नलिखित मात्रा में कोयले की आपूर्ति की :

(अनंतिम) (मिलियन टन में)

| क्षेत्र | लक्षित उठान | वास्तविक उठान | लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| स्टील* | 7.29 | 6.68 | 91.6% |
| विद्युत (उपयोगिताएं) ** | 248.16 | 246.40 | 99.3% |
| कैप्टिव पावर | 25.70 | 25.04 | 97.4% |
| सीमेंट | 5.66 | 4.96 | 87.6% |
| उर्वरक | 1.95 | 1.97 | 101.0% |
| स्पांज आयरन | 8.64 | 8.43 | 97.6% |
| अन्य | 42.47 | 41.16 | 96.9% |
| कोलि. कन्स. | 0.41 | 0.33 | 80.5% |
| **कुल** | **340.28** | **334.97** | **98.4%** |

* इसमें वाशरियों को फीड किया गया कोकिंग कोयला, सीधे फीड, इस्पात संयंत्रों को ब्लेन्डेबल, कोक ओवन, प्राइवेट कोकरीज और कोकरीज को एनएलडब्ल्यू कोयला शामिल हैं ।

** इसमें परिष्करण के लिए वाशरी और बीना डिशेलिंग संयंत्र को फीड करने के लिए कोकिंग तथा नानकोकिंग कोयला शामिल हैं ।

वर्ष 201213 (अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान तथा शेष अवधि के लिए प्रत्याशित (जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 ) एससीसीएल से क्षेत्रवार कोयले का उठान नीचे दिया गया है:

**(मिलियन टन में)**

| क्षेत्र | अप्रैल, 2012 से दिसं., 2012 | अप्रैल, 2011 से दिसं., 2011 | वृद्धि प्रतिशत | जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 तक | कुल प्रत्याशित |
|---|---|---|---|---|---|
| विद्युत (उपयोगिता और सीपीसी) | 29.93 | 27.51 | 8.8 | 11.85 | 41.75 |
| इस्पात (स्पांज आयरन) | 0.44 | 0.75 | - | 0.12 | 0.56 |
| सीमेंट | 3.94 | 3.75 | 5.0 | 1.65 | 5.59 |
| उर्वक | - | - | - | - | - |
| अन्य | 4.16 | 4.05 | 2.7 | 1.68 | 5.84 |
| कोलियरी कन्स्ट्र. | 0.04 | 0.08 | - | 0.01 | 0.05 |
| **कुल** | **38.51** | **36.14** | **6.5** | **15.31** | **53.82** |

## 7.5 विद्युत गृह

वर्ष 2012–13 (अप्रैल–दिसम्बर 2012) के दौरान तापीय विद्युत गृहों द्वारा सीआईएल से कोयले के उठान लक्ष्य में 99.3 प्रतिशत की प्राप्ति दर्ज करते हुए 246.40 मिलियन टन था । पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रेषण 24.23 मि.ट. अधिक अर्थात 10.9 प्रतिशत रहा है ।

वर्ष 2012–13 ( अप्रैल 12 से दिसम्बर, 12) के दौरान एससीसीएल से तापीय विद्युत गृहों द्वारा कोयले का वास्तविक उठान 2011–12 में इसी अवधि के दौरान 27.51 मि.ट. की तुलना में 29.93 मि.ट. है । वर्ष 2012–13 के दौरान एससीसीएल से

तापीय विद्युत गृहों द्वारा कोयले का अनुमानित उठान लगभग 41.78 मि.ट. होगा ।

## 7.6 सीमेंट संयंत्र

वर्ष 2012–13 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान सीआईएल से सीमेंट संयंत्रों को प्रेषण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 5.3 मिलियन टन की तुलना में 4.92 मिलियन टन था ।

वर्ष 2012–13 ( अप्रैल 12 से दिसम्बर, 12) के दौरान एससीसीएल से सीमेंट संयंत्रों को कोयले का वास्तविक प्रेषण 2011–12 में इसी अवधि के दौरान 3.75 मि.ट. की तुलना में 3.94 मि.ट. है । वर्ष 2012–13 के दौरान एससीसीएल से सीमेंट संयंत्रों को कोयले का अनुमानित प्रेषण 5.59 मि.ट. है।

## 7.7 परिवहन के साधन

सीआईएल में कोयले और कोयला उत्पादों के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मैरीगोराउंड पद्धति (एमजीआर), कन्वेयर बैल्ट और मल्टी माडल रेलएवं समुद्री मार्ग हैं । चालू वित्त वर्ष (अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान कोयला और कोयला उत्पादों की कुल ढुलाई में परिवहन के इन साधनों का लगभग शेयर नीचे दर्शाया गया है :

| क्र. सं. | परिवहन के साधन | शेयर प्रति. |
|---|---|---|
| 1 | रेलवे (रेलवे एवं समुद्री सहित) | 53.8 |
| 2 | सड़क | 25.0 |
| 3 | एमजीआर | 18.9 |
| 4 | बैल्ट–कन्वेअर्स / रोपवेज | 2.3 |

एससीसीएल में परिवहन का महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मेरीगोराउंड प्रणाली (एमजीआर) रोपवे हैं । उक्त अवधि के दौरान कोयले की कुल आवाजाही मे परिवहन के इन साधनों का हिस्सा लगभग निम्नलिखितानुसार है:

| क्र.स. | साधन | शेयर प्रति. |
|---|---|---|
| 1 | रेलवे (आरसीआर सहित) | 60.30 |
| 2 | सड़क | 21.28 |
| 3 | एमजीआर | 17.59 |
| 4 | रोप | 0.83 |

## 7.8 नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अंतर्गत की गयी प्रगति

**7.8.1** अक्टूबर, 2007 में नयी कोयला वितरण नीति लागू करने से पहले उपभोक्ताओं को दो विस्तृत श्रेणियों, कोर तथा नानकोर क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था । उपभोक्ताओं को पूर्व में वर्गीकृत करने का आधार मात्र आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर आधारित था । तथापि, नयी कोयला वितरण नीति के अंतर्गत उपभोक्ताओं के तत्कालीन वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है ।

**7.8.2** इसी नीति के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र / उपभोक्ताओं को, इस संबंध में लागू विनियामक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, गुणअवगुण के आधार पर माना गया है ।

**7.8.3** विद्युत, सीमेंट और स्पांज आयरन क्षेत्रों के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) उनकी कोयला आवश्यकताओं की संस्तुति करने के लिए प्राधिकृत है । ऐसी संस्तुति के आधार पर, सीआईएल में आश्वासन पत्र संबंधी समिति (सीएलओए) कोयला कंपनी वार आवंटन करती है । कोयला कंपनियां विशिष्ट लक्ष्यों सहित आश्वासन पत्र जारी करती हैं जिसमें एलओए धारक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लक्ष्य हासिल करने होते हैं जिससे वे कोयला आपूर्ति

मेरीगोराउंड(एमजीआर) स्वचालित वैगन लोडिंग प्रणाली

हेतु ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) करने हेतु पात्र हो जाते हैं । सभी वर्तमान वैध उपभोक्ताओं को की जाने वाली कोयला आपूर्ति को विधिक रूप से लागू ईंधन आपूर्ति समझौता के अंतर्गत लाया गया है ।

**7.8.4** एनसीडीपी के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में सीआईएल द्वारा की गयी प्रगति संक्षेप में नीचे दी गयी है :

**कोल इंडिया लि0.**

**(क)** कोर तथा नानकोर क्षेत्र में उपभोक्ताओं के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है ।

**(ख)** लिंकेज प्रणाली का स्थान ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) ने ले लिया है और तदनुसार 1225 मौजूदा वैध लिंक्ड उपभोक्ताओं में से 1193 उपभोक्ताओं ने विद्युत उपभोक्ताओं के अलावा अन्य श्रेणियों मे कोयला कंपनियों के साथ एफएसए संपन्न कर लिया है । दिसम्बर, 2012 तक (अनंतिम) एनसीडीपी के अंतर्गत एफएसए की क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :

| पुराने मौजूदा उपभोक्ता (विद्युत उपयोगिताओं को छोड़कर) | वैध उपभोक्ताओं की संख्या | संपन्न एफएसए की संख्या |
|---|---|---|
| सीपीसी | 142 | 142 |
| स्पांज आयरन | 246 | 240 |
| सीमेंट | 46 | 46 |
| कागज | 45 | 45 |
| एल्युमिनियम | 4 | 3 |
| ब्रिकेट | 66 | 66 |
| एसएसएफ | 83 | 83 |
| कोकरीज | 149 | 148 |
| अन्य | 444 | 420 |
| कुल सीआईएल | 1225 | 1193 |

**(ग)** 31.03.09 की स्थिति के अनुसार मौजूदा विद्युत स्टेशनों के साथ संपन्न किए जाने वाले 133 एफएसए में से 129 एफएसए संपन्न कर लिए गए हैं ।

**(घ)** एलओए को जारी करने के लिए एसएलसी (एलटी) की सिफारिशों में से, दिसम्बर, 2012 तक विद्युत, स्पांज आयरन तथा सीपीपी एवं सीमेंट क्षेत्र में कुल 697 नए उपभोक्ताओं को कोयला कंपनी द्वारा एलओए को जारी करने के लिए वचनबद्धता गारंटी (सीजी) जमा करने के लिए नोटिस दिए गए थे । जिसमें से 592 इकाइयों को आवश्यक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एलओए जारी किए गए हैं, 332 इकाइयों ने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और एफएसए किए हैं, अन्य एलओए पूरा किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं ।

**(ड.)** लघु और मध्यम उपभोक्ता क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों को आवंटन के लिए सीआईएल द्वारा 8 मिलियन टन कोयला निर्दिष्ट किया गया है । अब तक वर्ष 201213 के लिए 31 दिसम्बर, 2012 तक 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी 29 राज्य एजेंसियों के नामांकन भेजे हैं, जिनमें से 19 राज्य एजेंसियों ने 3.96 मिलियन टन के लिए एफएसए संपन्न किया है ।

**(च)** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के आबंटन के अनुसार 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 20 विद्युत कंपनियों (आईपीपी सहित) को भी एमओयू के माध्यम से कोयले की आपूर्ति की गई है ।

**(छ)** एलओए मार्ग के माध्यम से 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात शुरू होने वाले नए विद्युत संयंत्र विभिन्न एफएसए माडल में एफएसए संपन्न कर रहे हैं । तथापि, आपूर्ति के न्यूनतम आश्वासित स्तर (ट्रिगर स्तर) में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक संशोधित करने तथा एफएसए की अवधि 5 वर्षों से बढ़ाकर 20 वर्ष करने के संबंध में अप्रैल, 2012 में सीआईएल को जारी राष्ट्रपति के दिशानिर्देश के अनुसरण में माडल एफएसए को संशोधित किया गया है ।

**(ज)** संशोधित विधान डिस्कॉम्स के साथ दीर्घावधिक विद्युत क्रय करार वाले विद्युत संयंत्रों के लिए लागू किया गया है । लगभग 60,000 मे.वा. की क्षमता तथा 280 एमटी की एलओए मात्रा सहित कुल 132 संयंत्र जिन्हें चालू किया जा चुका है अथवा अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2015 के बीच

चालू की जाने वाली है, को संशोधित माडल में एफएसए पर हस्ताक्षर करने हेतु संस्तुति की गई है ।

**(झ)** नए विद्युत संयंत्रों के लिए एफएसए माडल में संशोधन के अनुसरण में, उपर्युक्त 143 में से 56 विद्युत संयंत्रों (32 एलओए) ने 05.02.2013 तक नए माडल में एफएसए पर हस्ताक्षर किया है ।

**सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)**

**(क) एनसीडीपी के अंतर्गत एफएसए की क्षेत्रवार स्थिति (31.12.2012 तक)**

| क्षेत्र | लिंक्ड उपभोक्ताओं की संख्या | संपन्न एफएसए की संख्या |
|---|---|---|
| विद्युत (प्रमुख) | 4 | 4 |
| सीपीपी | 31 | 31 |
| स्पांज आयरन | 45 | 45 |
| सीमेंट | 58 | 58 |
| अन्य | 228 | 228 |

**(ख) एससीसीएल ने एसएलसी(एलटी) द्वारा अनुशंसित 27 यूनिटों के लिए एलओए जारी किए हैं ।**

- सीमेंट यूनिटों के साथ एलओए को एफएसए में परिवर्तित किया गया —09
- केप्टिव विद्युत संयंत्र के साथ एलओए को एफएसए में परिवर्तित किया गया । —13
- एफएसए में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है —01
- लागत जमा के अंतर्गत एलओए जारी करने के लिए अनिच्छुक यूनिटें —04

## 7.9 लघु तथा मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण

**7.9.1** नयी कोयला वितरण नीति के अंतर्गत कोर तथा नानकोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं का वर्गीकरण समाप्त कर दिए जाने के बाद से नयी कोयला वितरण नीति लघु तथा मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति के मुद्दे का विशिष्ट रूप से समाधान करती है ।

**7.9.2** इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों को 4200 मि.ट. प्रति वर्ष तक आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को कोयला वितरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से कोयले का वितरण किया जाना है । राज्यों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से वितरण हेतु वार्षिक रूप से कुल 8 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जो संबंधित कोयला कंपनियों के साथ एफएसए संपन्न करने के पश्चात कोयला ले सकेंगे ।

**7.9.3** इन एजेंसियों से वसूला गया मूल्य अधिसूचित मूल्य के समान होगा जैसा कि एफएसए करने वाले अन्य उपभोक्ताओं पर लागू है । एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से कोयला कंपनी द्वारा वसूले गए आधार मूल्य के अलावा वास्तविक भाड़ा तथा सेवा शुल्क के रूप में 5 प्रतिशत मार्जिन तक वसूल करने की हकदार होगी ।

**7.9.4** यह एफएसए दोनों ओर से ठोस प्रतिबद्धता और निष्पादन में चूक के लिए मुआवजे पर आधारित होगा । राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की

एजेंसियां अपना वितरण तंत्र तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी । तथापि, उक्त तंत्र को जनता में विश्वास का भाव पैदा करना चाहिए तथा इससे पारदर्शी तरीके से कोयले का वितरण होना चाहिए ।

**7.9.5** इन एजेंसियों से वसूला गया मूल्य अधिसूचित मूल्य के समान होगा जैसा कि एफएसए करने वाले अन्य उपभोक्ताओं पर लागू है । एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से कोयला कंपनी द्वारा वसूले गए आधार मूल्य के अलावा वास्तविक भाड़ा तथा सेवा शुल्क के रूप में 5 प्रतिशत मार्जिन तक वसूल करने की हकदार होगी ।

**7.9.6** अभी तक 18 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने 201112 के दौरान लघु उद्योगों को कोयले का वितरण करने के लिए अपनी एजेंसियां नामित की हैं । 28 राज्य एजेंसियां नामित की गयी हैं, जिनमें से 18 राज्य एजेंसियों ने 3.94 मि.ट. मात्रा के लिए एफएसए संपन्न किए हैं ।

## 7.10 31.12.2010 की स्थिति के अनुसार एनसीडीपी के अंतर्गत राज्य एजेंसियों के साथ एफएसए

| | | |
|---|---|---|
| 1 | राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सं0 | 35 |
| 2 | निर्दिष्ट मात्रा (लाख टन) | 80.00 |
| 3 | उन राज्यों की संख्या जिन्होंने वर्ष 200910 के लिए एजेंसियां नामित कीं | 18 |
| 4 | राज्यों/नामित एजेंसियों को आबंटित मात्रा (लाख टन में) | 53.06 |
| 5 | अब तक एफएसए के अंतर्गत कोयला प्राप्त कर रहे राज्यों की संख्या | 14 |
| 6 | एफएसए के अंतर्गत शामिल एसीक्यू (लाख टन) | 39.62 |

## 7.11 कोयले की ई–नीलामी

**7.11.1 सीआईएल में कोयले की ई–नीलामी:** एनसीडीपी प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक माह बाजार आधारित मूल्यों पर इलेक्ट्रानिक नीलामी (ई–नीलामी) के माध्यम से कोयला भी नियमित रूप से बेचा जा रहा है। ई–नीलामी दो प्रकार की होती है स्थल पर ई–नीलामी और फारवर्ड ई–नीलामी । स्थल पर ईसभी वर्गों के क्रेताओं के लिए है। फारवर्ड ई–नीलामी के मामले में केवल अन्त्य उपयोगकर्ता/वास्तविक उपभोक्ता भाग लेने के लिए पात्र होते हैं और उनके पास एक वर्ष से अधिक समय की सुनिश्चित आपूर्ति होती है । प्रत्येक फारवर्ड ई–नीलामी 12 महीने की होगी जिसमें 33 महीने की चार तिमाहियां होंगी । उपभोक्ताओं के पास किसी एक तिमाही की अथवा एक बार में सभी चार तिमाहियों के लिए बोली लगाने की छूट होगी । बोलीकर्ताओं/ उपभोक्ताओं को आरक्षित मूल्य अथवा उससे अधिक मूल्य पर बोली लगानी होती है । हालांकि स्थल ई–नीलामी नवम्बर 2007 से लागू है, फारवर्ड ई–नीलामी अगस्त, 09 से आरंभ हुई है । ई–नीलामी के अंतर्गत सीआईएल की कोयला कंपनियों के अनुमानित वार्षिक उत्पादन के लगभग 10 प्रतिशत की पेशकश की जाएगी । एनसीडीपी के कार्यान्वयन के पश्चात ई–नीलामी का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

**कोल इंडिया लि0**

| | स्थल पर ईनीलामी | | | | फारवर्ड ईनीलामी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अप्रैल 09 मार्च 10 | अप्रैल 10 मार्च 11 | अप्रैल 11 दिसम्बर 11 | अप्रैल 12 दिसम्बर 12 (अनंतिम) | अप्रैल 11 दिसम्बर 11 | अप्रैल 12 दिसम्बर 12 (अनंतिम) |
| बोली लगाने वालों की संख्या | 78155 | 70977 | 55638 | 55596 | 297 | 265 |
| सफल बोली लगाने वालों की संख्या | 40848 | 43929 | 32147 | 30877 | 216 | 185 |
| पेशकश की गई कुल मात्रा (लाख टन) | 541.392 | 552.71 | 390.37 | 345.40 | 91.01 | 68.13 |
| आबंटित की गयी कुल मात्रा (लाख टन) | 457.321 | 465.57 | 335.11 | 300.83 | 55.45 | 37.61 |
| कुल आबंटित मात्रा का अधिसूचित मूल्य (करोड़ रू0 में ) | 4528.956 | 5048.86 | 5360.88 | 5038.62 | 683.99 | 550.58 |
| कुल आबंटित मात्रा का बोली मूल्य (करोड़ रू0 में) | 7238.48 | 9120.92 | 9335.31 | 7816.10 | 1289.87 | 691.97 |
| अधिसूचित मूल्य पर % वृद्धि | 59.8 | 80.7 | 74.1 | 55.1 | 88.58 | 25.68 |

**अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012 के दौरान कंपनीवार स्थल ईनीलामी (अनंतिम)**

(आंकड़े लाख टन में)

| कंपनी | पेशकाश की गई मात्रा | आबंटित मात्रा | अधिसूचित मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|
| ईसीएल | 27.35 | 24.12 | 28.7 |
| बीसीसीएल | 22.94 | 17.36 | 102.7 |
| सीसीएल | 33.11 | 30.87 | 63.1 |
| एनसीएल | 14.38 | 14.38 | 72.4 |
| डब्ल्यूसीएल | 36.11 | 32.13 | 45.8 |
| एसईसीएल | 83.59 | 77.57 | 57.1 |
| एमसीएल | 126.56 | 103.05 | 56.5 |
| एनईसी | 1.36 | 1.36 | 35.3 |
| सीआईएल | 345.40 | 300.83 | 55.1 |

**7.11.2 एससीसीएल में कोयले की ईनीलामी:**

एससीसीएल ने कोयले की ईनीलामी दिसम्बर, 2007 में आरंभ की है । अप्रैल, 12 से दिसम्बर, 12 तक की अवधि के दौरान स्थल ईनीलामी के माध्यम से एससीसीएल द्वारा बेचे गए कोयले का ब्यौरा निम्न् प्रकार से है :

| कंपनी | पेशकश की गई मात्रा | बेची गई मात्रा | अधिसूचित मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|
| एससीसीएल | 3.033 एमटी | 2.614 एमटी | 80% |

## 7.12 कोयले का आयात

**7.12.1** वर्तमान आयात नीति के अनुसार उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार और वाणिज्यिक सूझबूझ का उपयोग करते हुए, स्वयं ही स्वतंत्र रूप से (खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत) कोयले का आयात कर सकते हैं ।

7.12.2 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 (सेल) तथा दूसरे इस्पात क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है । यह मुख्यतः आवश्यकता तथा घरेलू उपलब्धता के मध्य अंतर को दूर करने तथा क्वालिटी को सुधारने के लिए किया जाता है । कोयला आधारित बिजली संयंत्र, सीमेंट, संयंत्र, केप्टिव बिजली संयंत्र, स्पांज आयरन संयंत्र, औद्योगिक उपभोक्ता तथा कोयला व्यापारी नान कोकिंग कोयले का आयात कर रहे हैं । कोक का आयात मुख्यतः कच्चा कोयला विनिर्माताओं तथा मिनीब्लास्ट फरनेस का उपयोग करने वाले लोहा तथा इस्पात क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है ।

(मिलियन टन में)

| | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12* | 2012-13* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कोकिंग कोयला | 16.93 | 16.89 | 17.88 | 22.03 | 21.08 | 24.69 | 19.48 | 31.801 | 25.408 |
| नान–कोकिंग कोयला | 12.03 | 21.70 | 25.20 | 27.76 | 37.92 | 48.57 | 49.43 | 71.052 | 74.631 |
| कोक | 2.84 | 2.62 | 4.69 | 4.25 | 1.88 | 2.36 | 1.49 | 2.365 | 2.588 |
| **कुल आयात** | **31.80** | **41.21** | **47.77** | **54.04** | **60.88** | **75.62** | **70.4** | **105.218** | **102.627** |

* आंकड़े वर्ष 201213 के दिसम्बर, 2012 तक अनंतिम हैं ।

## 7.13 कोयला उपभोक्ता परिषद

क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदों की स्थापना उपभोक्ताओं की शिकायतों की मॉनीटरिंग तथा निवारण करने के लिए प्रत्येक कोयला कंपनी में की गई है । इसके अलावा सीआईएल (मुख्यालय) में स्थापित राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद ऐसे मामलों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है । यदि शिकायतों पर जबाब एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है अथवा शिकायतकर्ता कोयला कंपनी द्वारा दिए गए जबाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उस मामले को राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद के पास भेजा जाता है । इन परिषदों को 2010–11 के दौरान पुनगर्ठित किया गया था और इसमें कई नए सदस्यों को शामिल किया गया था । राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद की एक बैठक सीआईएल, कोलकाता में 6 अक्टूबर, 2012 को आयोजित की गई थी तथा इसके अलावा उर्वरक एवं सीमेंट क्षेत्र से परिषद के सदस्यों के नामित प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

सीआईएल ने उपभोक्ताओं के शिकायतों का प्रभावी रूप से निवारण करने के उद्देश्य से ऑन लाइन शिकायत निवारण तंत्र लागू किया है जो सीआईएल की वेबसाइटों के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने के लिए सभी क्रेताओं को पहुंच प्रदान करता है । शिकायतों/आवेदन पत्र के लिए दिशानिर्देश तथा शिकायतों के रिपोर्ट की स्थिति आदि भी क्रेता की सुविधा के लिए उपलब्ध है।